

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256342
SG-DL-E-14082024-256342असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 153
No. 211]	DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946	[N. C. T. D. No. 153

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
(बाल संरक्षण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

फा. सं. 61(998)/एसएलएससी का संविधान/डीडी (सीपीयू)/ डीडब्ल्यूसीडी/पार्ट फ़ाइल/7708-25.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 45 (डी) (अ) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा (2) की उपधारा 59 के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 87 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने किशोर न्याय बोर्डों के सदस्य कार्यकर्ता और बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं मॉडल नियम, 2016 के अंतर्गत किया है, जो इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी-

अध्यक्ष	माननीय न्यायाधीश सुश्री आशा मेनन (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय)
विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रथम तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
सदस्य के रूप में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	1. डॉ. सुनीता रेड्डी संस्थापक सदस्य, एंथ्रोपोज इंडिया फाउंडेशन। 2. सुश्री प्रियल भारद्वाज संस्थापक, संगिनी सहेली एवं सामाजिक कार्यकर्ता।
सदस्य के रूप में शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि	1. डॉ. रितु शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली। 2. प्रो. रूपा शंकर प्रोफेसर, परिवार एवं समुदाय विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य सचिव, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5 वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली।

चयन समिति के कार्य और उत्तरदायित्व उक्त मॉडल नियम 2016 के नियम 88 के अनुसार होंगे।

चयन समिति प्रतिनिधियों की बैठक में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों से कम नहीं होंगे।

माननीय राष्ट्रपति की आज्ञा से
एवं उनके नाम पर,
विनोद पी. कावले, आईएएस सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(Child Protection Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th August, 2024

F. No. 61(998)/Constitution of SLSC/DD(CPU)/DWCD/2016/Pt. File/7708-25.—In exercise of powers conferred under Sub Section 45 D (a) of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023 and Sub Section 59 of Section 2 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 read with Rule 87 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016, the Hon'ble President of India, hereby constitutes the following Selection Committee for selection of the Member Social Workers, Juvenile Justice Boards and Chairperson and Members, Child Welfare Committees under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Model Rules, 2016 for a period of three years from the date of Notification-

Chairperson	Ms. Justice Asha Menon (Retired Judge, Delhi High Court)
Department's nominee as Member Secretary	The Director, Department of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, 1st Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
Representatives from NGO as Members	1. Dr. Sunita Reddy, Founder Chairperson,

	Anthropos India Foundation. 2. Ms.PriyalBhardwaj, Founder, SanginiSaheli and Social Activist
Representatives of Academic Institutions as Members	1. Dr.Ritu Sharma, Associate Professor, National Law University, Delhi. 2. Prof. Roopa Shankar, Professor, Department of Family and Community Sciences, University of Allahabad, Prayagraj.
Representative of State Commission for Protection of Child Rights as Member	Member Secretary, Delhi Commission for Protection of Child Rights, 5 th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.

The functions of the Selection Committee shall be in accordance with Rule 88 of the aforesaid Model Rules, 2016.

The quorum of the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members including the Chairperson and the Member Secretary.

By Order and in the Name of the
Hon'ble President of India,
VINOD P. KAVLE, IAS Secy.